APP-A

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ, जिला– बून्दी (राज.)

अदालत ______ मुकाम ______

गोरधन बनाम राज० सरकार

मुकदमा 136 LR Act नं. 30/21 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.3.21	[illegible] पत्र/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act पेश किया गया। द्वारा वकील श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दि० 13.5.21 को पेश हो।	
13.5.21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 21.6.21 को पेश हो।	
21.6.21	वकील प्रार्थी उपस्थित है। तहसीलदार नैनवां का नोटिस बाद तामील संलग्न है। पत्रावली वास्ते इंतजार पालना रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां के लिए दिनांक 13.9.21 को पेश हो।	प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प कोर्ट नोटिस जारी
13/9/21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 [illegible] कैम्प कोर्ट में दिनांक 8/10/21 को पेश हो।	
8/10/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत केम्प कोर्ट सीसोला में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित है। तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट में ग्राम पंचायत के आधार पर गोरधन व लोडक्या एक ही व्यक्ति होना प्रमाणित किया है। अतः प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम सुवासड़ा पटवार मण्डल सीसोला की जमाबन्दी सम्वत 2075-78 के खाता सं. 156 में "लोडक्या पि० रामनारायण" के स्थान पर "गोरधन उर्फ लोडक्या पि० रामनारायण" [illegible] किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। [illegible] दाखिल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)	अगूंठा गोरधन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:44:54 IST
Reason: SelfAttested